स्टैंड-अप इंडिया योजना

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को सशक्त बनाने और महिला सशक्तीकरण सुनिश्चित करने में स्टैंड-अप इंडिया पहल** की भूमिका की सराहना की है।

प्रमुख बिंदु:

- **परिचय:**
  - आर्थिक सशक्तीकरण और रोज़गार सृजन को केंद्र में रखते हुए ज़मीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये **5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी।**
  - इस योजना को वर्ष 2025 तक के लिये बढ़ा दिया गया है।
- **उद्देश्य:**
  - महिलाओं, [अनुसूचित जाति](#) और [अनुसूचित जनजाति](#) श्रेणी में **उद्यमशीलता को बढ़ावा देना**।
  - **विनिर्माण**, **सेवाओं** या **व्यापार क्षेत्र** एवं **कृषि से संबद्ध गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यमों हेतु ऋण** प्रदान करना।
  - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम-से-कम एक **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति** उधारकर्त्ता एवं **कम-से-कम एक महिला उधारकर्त्ता** को **रु. 10 लाख से रु. 100 लाख** के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना।
- **बैंक ऋण की सुविधा:**
  - इस योजना का उद्देश्य सभी बैंक शाखाओं को ऋण प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करना है। इच्छुक आवेदक योजना के तहत निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:
    - सीधे शाखा में या,
    - स्टैंड अप इंडिया पोर्टल (www.standupmitra.in) के माध्यम से या,
    - अग्रणी ज़िला प्रबंधक (LDM) के माध्यम से।
- **ऋण के लिये पात्रता:**
  - **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति** और/या **महिला उद्यमी,** जिनकी **उम्र 18 वर्ष** से अधिक है।
  - योजना के तहत ऋण **केवल ग्रीन फील्ड परियोजनाओं** के लिये उपलब्ध हैं। इस संदर्भ में ग्रीन फील्ड, निर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र और कृषि संबंधी गतिविधियों के लाभार्थियों का उपक्रम है।
  - गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में **51% शेयरधारिता** और नियंत्रण हिस्सेदारी या तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिये।
  - ऋणकर्त्ता किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान का **डिफाल्टर नहीं** होना चाहिये।
  - इस योजना में **'15% तक' सीमा राशि** की परिकल्पना की गई है जो केंद्रीय/राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण में प्रदान की जा सकती है।
    - किसी भी स्थिति में, ऋणकर्त्ता को परियोजना लागत का **कम-से-कम 10%** अपने योगदान के रूप में भुगतान करना होगा।
- **उपलब्धियाँ:**
  - स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत पिछले 7 वर्षों में **180,636 खातों में 40,710 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।**
  - इस योजना के तहत **80% से अधिक ऋण महिलाओं को प्रदान किये गए हैं।**

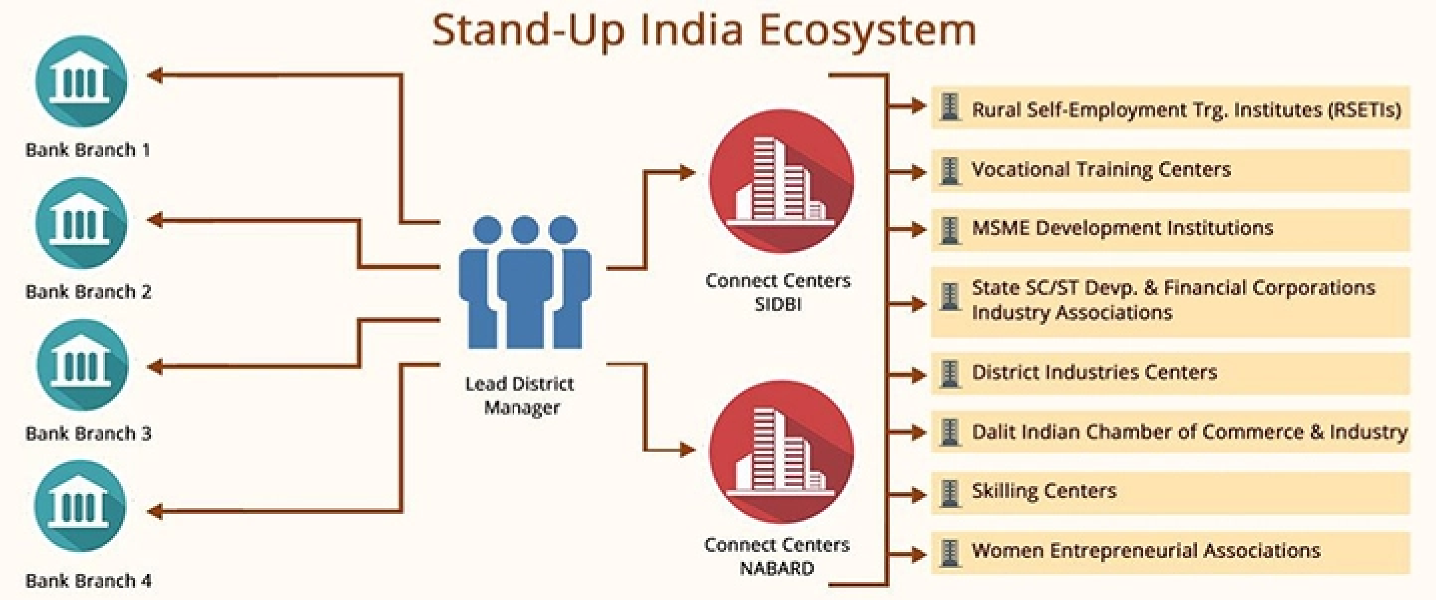

[स्रोत: पी.आई.बी.]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/stand-up-india-scheme